2020 / 00/20 — 10/11/20 — 23/12/20

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रकरण क्रमांक सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
8/2020	88,89,52,188 RTA	रटावद	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मोहनलाल वगै.	बनाम	लटूरी बाई वगै.

वकील :- श्री ओम मेहता II एड. — **आदेश पत्रक** — वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
11/8/20	श्री ओम मेहता II एड. ने वादीगण की ओर से वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट तहसील देखी गई कोई कमी नहीं है। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दि. 22/9/2020 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	22/2/21
22/9/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वास्ते तलबी 10/11/2020 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	
10/11/20	पीठासीन अधिकारी राजस्व आन्दोलन में व्यस्त होने से पूर्ववत दिनांक 23/12/20 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
23/12/20	पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक परिषद ने कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली सर्वेक्ष वास्ते तलबी दिनांक 22/2/21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	
22/2/21	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलबाना। सम्मन पेश करें। वास्ते तलबी दि. 16/4/21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	
16/4/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलबाना। सम्मन पेश करें। वास्ते तलबी दिनांक 25/5/21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
पीठासीन अधिकारी ——— में रहने से पूर्ववत दिनांक 25-10-24 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी	
5-10-24 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उप० / प्रतिवादी गण की तलबी हेतु तलबाना पेश करें। पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके है एक अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 9-12-24 को पेश है।	
9-12-24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० / प्रतिवादी की तलबी हेतु Regd तलबाना पेश है। पूर्व में कई बार अवसर दिया जा चुका है एवं अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 27-12-24 को पेश है।	
03/01/25 पत्रावली वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते शीघ्र सुनवाई पेश करने पर तलब की गई। प्रा० पत्र शामिल रही वकील वादी तथा वादी [illegible] 2 संपत्ति के प्रकरण नोटप्रेस पर उपस्थित होने का उल्लेख किया। मुंसिफी वादी एवं वकील वादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते। अतः उपखण्ड अधिकारी की स्तर पर लंबित किया जाता है पत्रावली कोर्ट शुल्क वापस करने के बाद रजिस्टर अभिलेख के प्रविष्ट हो।	Mat Prasad O.P. Meena उपखण्ड अधिकारी